

.....का पत्र है।

3-5-18 पहावली आज कैंप कोर्ट में प्रेषित
इस प्रकार से संबंधित वाद पत्र का निर्णय हो
जाएगा जो पत्र सत्यापित निषेधाज्ञा का संबंध
कोई औचित्य नहीं है। अतः पारित पत्र सत्यापित
निषेधाज्ञा को इसी त्तर पर खारिज किया जाएगा।
पहावली जैसल अमर देखर नम्बर 1 का है।
पहावली दाखिल दस्ता है।